संख्या-200/2019/3797/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 सितम्बर 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बांदा, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर एवं महोबा में ट्रांजिट हास्टल के निर्माण हेतु जारी शासनादेशों में संशोधन/स्पष्टता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1537-39/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (532)/ट्रांजिट-हास्टल/2019-20, दिनांक-29.08.2019 का कृपय संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-148/2019/1261/26-3-2019, दिनांक-21.06.2019 एवं शासनादेश संख्या-174/2019/809/26-3-2019, दिनांक-11.07.2019 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-148/2019/1261/ 26-3-2019, दिनांक-21.06.2019 के माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बांदा एवं मलिकपुर बखिरा, जनपद-सुल्तानपुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु क्रमशः रू0-302.11 लाख एवं रू0-292.57 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-297.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार से शासनादेश संख्या-174/2019/809/26-3-2019, दिनांक-11.07.2019 द्वारा आगणित लागत रू0-690.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-345.07 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-148/2019/1261/ 26-3-2019, दिनांक-21.06.2019 के माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बांदा हेतु रू0-रू0-151.00 लाख एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मलिकपुर, बखिरा, जनपद-सुल्तानपुर हेतु रू0-146.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त वित्तीय स्वीकृति के लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-00-24-वृहद निर्माण से निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या-174/2019/809/26-3-2019, दिनांक-11.07.2019 द्वारा आगणित लागत रू0-690.14 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-345.07 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें रू0-138.72 लाख राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, धनगढ़िया, सिद्धार्थनगर हेतु एवं रू0-206.35 लाख राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चरखारी, जनपद-महोबा हेतु स्वीकृत कियेगये है।

कृपया उपरोक्त स्थिति से अवगत होते हुये अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-200/2019/3797(1)/26-3-2019 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांदा, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर एवं महोबा, उ0प्र0।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

7- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0।

9- गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।